

## प्रेस नोट दिनांक 15.02.2025 जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 15.02.2026

थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी  
थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा रंगदारी व हत्या के प्रयास के 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

दिनांक 09.02.2026 को थाना कोतवाली देहात के ग्राम श्रीकान्त का पुरवा में प्रार्थिनी के पुत्र के साथ आरोपी द्वारा मारपीट कर घायल कर देने व रंगदारी मांगने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0 38/2026 धारा 308(5), 115(2), 109(1), 110, 352, 351(2), 324(4) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी कोतवाली देहात श्री पुष्पराज के नेतृत्व में उ0नि0 जय किशन मय हमराह कां0 विश्वदीप, हो0गा0 प्रदीप मिश्रा द्वारा मुखबिर की सूचना पर देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान रंगदारी व हत्या के प्रयास के अभियोग 01 अभियुक्त विपिन तिवारी उर्फ पिन्टू पुत्र बृगेन्द्र तिवारी उर्फ दिलीप तिवारी निवासी ग्राम श्रीकान्त का पुरवा अमरौना थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त विपिन तिवारी उर्फ पिन्टू पुत्र बृगेन्द्र तिवारी उर्फ दिलीप तिवारी उपरोक्त थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0 38/2026 धारा 308(5), 115(2), 109(1), 110, 352, 351(2), 324(4) बीएनएस का वांछित अभियुक्त है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विपिन तिवारी उर्फ पिन्टू पुत्र बृगेन्द्र तिवारी उर्फ दिलीप तिवारी निवासी ग्राम श्रीकान्त का पुरवा अमरौना थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ ।

अपराधिक इतिहास

विपिन तिवारी उर्फ पिन्टू पुत्र बृगेन्द्र तिवारी उर्फ दिलीप तिवारी उम्र 41 वर्ष निवासी श्रीकान्त का पुरवा अमरौना थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़

- 1.मु0अ0स0-77/2009 धारा 323/504/506/294 भादवि थाना जेठवारा
- 2.मु0अ0स0-137/2009 धारा 110G थाना जेठवारा
- 3.मु0अ0स0-85/2018 धारा 286 भादवि थाना जेठवारा
- 4.मु0अ0स0-192/2019 धारा 286/504/506/427 भादवि थाना जेठवारा
- 5.मु0अ0स0-256/2009 धारा 323/504/506 भादवि थाना जेठवारा
- 6.मु0अ0स0-343/2009 धारा 386/506 भादवि थाना जेठवारा

- 7.मु0अ0स0-460/2010 धारा 110G थाना जेठवारा
- 8.मु0अ0स0-569/2020 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट भादवि थाना जेठवारा
- 9.मु0अ0स0-224/2022 धारा 504/506 भादवि थाना जेठवारा
- 10.मु0अ0स0-03/2024 धारा 504/506 भादवि थाना अंतू
- 11.मु0अ0स0-218/2024 धारा 504/506 भादवि थाना कोतवाली देहात
- 12.मु0अ0सं0 220/24 धारा 504/506/307 भादवि सम्बन्धित थाना कोतवाली देहात
- 13.मु0अ0सं0 38/2026 धारा 308(5)/115(2)/109(1)/110/ 352/351(2)/324(4) बी0एन0एस थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 जय किशन मय हमराह कां0 विश्वदीप, हो0गा0 प्रदीप मिश्रा थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़

**प्रेस नोट दिनांक 15.02.2026**

**थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़**

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना कन्धई पुलिस द्वारा गैर-इरादतन हत्या के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त लालबहादुर सरोज को किया गया गिरफ्तार-

थाना कन्धई पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना कन्धई क्षेत्रान्तर्गत शनिदेव मंदिर से दुबे का पूरवा जाने वाले तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.02.2026 को वादी निवासी ग्राम वारीकला थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ की पुत्री खेत की मेड़ पर चारा काटते समय आरोपी द्वारा लगाए गए 440 वोल्ट करंट प्रवाहित तार की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे उपचार हेतु ले जाया गया जहां चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। उक्त के संबंध में थाना कन्धई पर मु0अ0सं0 33/26 धारा 105/351 (3) बीएनएस बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कन्धई श्री सत्येन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में थाना कन्धई के उ0नि0 भूपेशनाथ सिंह मय हमराह हे0का0 बद्रीनारायण सिंह, का0 अभिषेक चौरसिया द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 33/26 धारा 105/351 (3) बीएनएस थाना कन्धई से संबंधित 01 अभियुक्त, 1.लालबहादुर सरोज पुत्र अयोध्या सरोज निवासी बारीकला नवाबाद थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 55 वर्ष को थाना कन्धई क्षेत्रान्तर्गत शनिदेव मंदिर से दुबे का पूरवा जाने वाले तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. लालबहादुर सरोज पुत्र अयोध्या सरोज निवासी बारीकला नवाबाद थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 55 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 भूपेशनाथ सिंह मय हमराह हे0का0 बढीनारायण सिंह, का0 अभिषेक चौरसिया थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ ।

प्रेस नोट दिनांक 15.02.2026

थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ।

थाना अन्तू पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना अन्तू के निरीक्षक शुभनाथ साहनी मय हमराह उ0नि0 गौतम बनर्जी, उ0नि0 अमीरुद्दीन, हे0का0 ऋषिकेश यादव, म0का0 प्रीति सिसोदिया, का0 अंकित कुमार व चालक का0 सोनू विश्वकर्मा द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर वारंट सेशन केस 42/2025 राज्य बनाम शिवशंकर वर्मा, अ.सं. 606/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित 02 वारंटी अभियुक्त, 1.अशोक धोबी पुत्र सुन्दरलाल निवासी ग्राम कपासी थाना अन्तू प्रतापगढ उम्र 46 वर्ष, 2. शिवशंकर वर्मा पुत्र सोमई निवासी ग्राम जोगीपुर थाना अन्तू प्रतापगढ उम्र 32 वर्ष को थाना अन्तू क्षेत्रान्तर्गत उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. अशोक धोबी पुत्र सुन्दरलाल निवासी ग्राम कपासी थाना अन्तू प्रतापगढ उम्र 46 वर्ष ।

02. शिवशंकर वर्मा पुत्र सोमई निवासी ग्राम जोगीपुर थाना अन्तू प्रतापगढ उम्र 32 वर्ष।

पुलिस टीम-

निरीक्षक शुभनाथ साहनी मय हमराह उ0नि0 गौतम बनर्जी, उ0नि0 अमीरुद्दीन, हे0का0 ऋषिकेश यादव, म0का0 प्रीति सिसोदिया, का0 अंकित कुमार व चालक का0 सोनू विश्वकर्मा थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ।

प्रेस नोट दिनांक 15.02.2026

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ।

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कुण्डा के उ0नि0 मृत्युन्जय पाण्डेय मय हमराह का0 प्रवीण कुमार द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर एनबीडब्लू मु0नं0- 1726/06 अ.सं.278/94 धारा 399/402 भादवि से संबंधित 01 वारंटी अभियुक्त धर्मराज यादव पुत्र रतीराम यादव निवासी बहादुर का पुरवा

शेखपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 65 वर्ष को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. धर्मराज यादव पुत्र रतीराम यादव निवासी बहादुर का पुरवा शेखपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 65 वर्ष ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 मृत्युन्जय पाण्डेय मय हमराह का0 प्रवीण कुमार थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ।